राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम - "मिनी रत्न" - कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म
सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335804
सीआईएन:यू74899डीएल1963जीओआई 003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कंपनी)

(A Government of India Undertaking "Mini Ratna" Company)
CENTRAL STATE FARM
Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone: 01509-220006, 220084, 223877
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/ E-mail: csf.suratgarh@indiaseeds.com

सी.एस.एफ / उघान / 4(बाग निलामी) / एन.एस.सी / सूरतगढ़ / 2024–25 दिनांक: –**19.04.2024**

ई–निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) स्थित फलों के बगीचे में वर्ष 2024–25 में लगने वाले फलो के निस्तारण हेतु ई–निविदायें दिनांक 20/04/2024 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 10/05/2024 दोपहर 01.00 बजे तक आमंत्रित की जा रही है जो कि 10/05/2024 दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा भरने के दौरान ऑनलाइन माध्यम से **निविदा प्रपत्र राशि 1180/– रुपये (1000+18% GST)** अथवा **ई.एम.डी. राशि रू 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र)** ई–निविदा पोर्टल पर जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी प्राप्त की जा सकती है। निविदा हेतु हमारे ई–पोर्टल ://indiaseeds.enivida.com पर निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदादाता को अपने पेन कार्ड/टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार अथवा अन्य सबूत की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

- **नीलामी के लिए उपलब्ध बाग में फलों का विवरण निम्नवत है–**

क्र.सं.	बाग का नाम	फलों का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1.	किन्नो बाग	किन्नो फल	9.00
2.	माल्टा बाग	माल्टा की विभिन्न किस्में (ब्लड रेड, पाइनएप्पल)	4.20
3.	ग्रेप फ्रूट	चकोतरा फल	0.25
4.	मौसमी बाग	मौसमी फल	1.85
5.	अमरूद बाग	अमरूद फल (एल–49 एवं इलाहाबादी सफेदा)	8.60
6.	नींबू बाग	कागजी नींबू	1.00
7.	आंवला बाग	आंवला फल	3.50
8.	बेर बाग	बेर की विभिन्न किस्में (उमरान, कैथली, गोला इत्यादि)	4.00
9.	बेल बाग	बेल फल	2.60
10.	आम	आम फल	0.70
		कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर :–	**35.70**
11.	खजूर	खजूर फल बॉउंड्री साइड नर्सरी क्षेत्र	39 पेड़
12.	फालसा	फालसा फल बॉउंड्री साइड नर्सरी क्षेत्र पेड़	30 पेड़
13.	बॉउंड्री साइड	जामुन व करोंदा फल	जामुन–200 पेड़ करोंदा–940 पेड

प्रबंधक (उ.)
कृते निदेशक

PARTICULARS	DETAILS
Date of issue of NIT	19.04.2024
Date and time for submission of online bid	From 20.04.2024 10:00 AM To 10.05.2024 01:00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ, Suratgarh	10.05.2024 on 3.00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT/D.D.)	Rs. 1180/- (Rs. 1000+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online on e-Nivida)	Rs. 1,00,000/-
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh. Sukhdeep Singh, Asst. Manager(Production) Mob.- 08901571906 Email:- ago.csfsuratgarh@gmail.com
	Sh. Aman Kumar, Junior Officer I (Agriculture), Mob:- 8178435683 Email:- hortcsfsog@gmail.com

Instructions to Bidder- Online Mode

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's
   enividahelpdesk@gmail.com
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e-tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**
Tel: 011-49606060
Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

DECLARATION /घोषणा

मैं/हम………………………………… ..मेसर्स .... ……………...................... के मालिक/भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्द्वारा निम्नानुसार पुष्टि व घोषणा करता हूं/करते हैं:

I/We ………………………………………….............. Proprietor/Partner/Authorized signatory of M/S ……………………….......................... do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. मेरी उपरोक्त उल्लेखित फर्म/नाम को केंद्र/राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी संगठन/विभाग/स्वायत्त निकाय/अनुसंधान संस्थान/निगम द्वारा उनकी निविदाओं/अनुबंधों में भाग लेने से रोक हेतु काली सूची में नहीं डाला गया है/असूचीबद्ध नहीं किया गया है या मुकदमा नहीं चलाया गया है।
   My above mentioned firm/name has not been blacklisted/delisted/prosecuted by any organization/department/autonomous body/research institute/corporation of the Central/State or Union Territory for debarment from participating in their tenders/contracts.

2. मेरे विरूद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
   There is no criminal case pending against me in the Court of law.

3. मैं/हम समझते हैं कि, यदि सेंट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ द्वारा मुझे/हमें दिए गए **फलो के निस्तारण** के ठेके के किसी भी चरण में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई अनुबंध से सम्बंधित कोई भी जानकारी/दस्तावेज फार्म द्वारा गलत पाए जाते हैं तो अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार फार्म मेरे /हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।
   I/We understand that, if any information/documents relating to the contract submitted by me/us at any stage of the contract for **Disposal of Fruits** awarded to me/us by Central State Farm, Suratgarh are found to be incorrect, the farm can take disciplinary action against me/us as per the terms and conditions of the contract.

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा की सामग्री मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

It is verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

जगह/Place: ___________________ हस्ताक्षर/Signature: ___________________

तारीख/Date: ___________________ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/
Name of Authorized Signatory: ___________________

पता/Address: ______________________________________

____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: ___________________

<u>निविदा की तकनीकी आवश्यकता / Technical Requirement of Tender</u>

PARTICULARS/ब्यौरा	**DETAILS/विवरण**
Copy of GST Registration (If Available)/ जीएसटी पंजीकरण की प्रति (अगर हो तो)	
Copy of Pan Card /पैन कार्ड की प्रति	
Copy of valid Id Proof i.e. Aadhar Card/Voter Id/Driving License etc. वैध आई डी प्रूफ यानी आधार कार्ड वोटर आई / डी / ड्राइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी।	
Copy of Firm Letter Head (If Available)/ फर्म लेटर हेड की प्रति (अगर हो तो)	
Details of EMD Deposite and Tender Form Fee (Rs.)/ ईएमडी जमा राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण (.रु)	
Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के नियम और शर्तें नोट नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर : निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए/ठेकेदार	
Undertaking regarding non-blacklisting of his firm/Individual उसकी फर्म व्यक्ति को काली सूची में न डालने के संबंध में/ वचनबद्धता	

जगह/Place: ___________________ हस्ताक्षर/Signature: ___________________

तारीख/Date: ___________________ नाम/ Name: ___________________

पता/Address: ______________________________________

____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: ___________________

COMMERCIAL- BID/TENDER FORM

The Farm Head
Central State Farm,
Suratgarh,
Shriganganagar, Rajasthan.

Sub: Your open tender notice dated ____________ for award of Fruit Contract of the farm for the period from 1st July, 2024 to 30th April, 2025) .

Sir,

I/We have carefully gone through all the essential terms & conditions of tender relating to awarding of Fruit contract of Central State Farm, Suratgarh for plucking and sale of fruits from farm orchards situated in an area of 35.70 hectare and 1209 fruit trees located on the boundary side, for the period from 1st July, 2024 to 30th April, 2025.

I declare that I have carefully read the terms & conditions of fruit contract and that I will comply with all the terms and conditions of the contract and offer my/our highest rates for the fruit contract rate are as under:

S.No.	Name of fruits andapproximate area in Hectare/Numbers	Rates for total area (35.70 Ha.) and 1209 boundry fruit plants/trees
	Kinnow --------------------------9.00 Mosami, Malta------------------6.05 Kagzi Lime----------------------1.00 Aonla-(chakaiya,Banarasi)----3.50 Guava- (A. Safeda, L-49)-----8.60 Grape fruit-----------------------0.25 Ber (Umran, Gola etc.)--------4.00 Bael-------------------------------2.60 Mango----------------------------0.70 **TOTAL-------------------------35.70** Karonda fruits trees--------940 Nos. Jamun fruit tress------------200 Nos. Date fruit trees---------------39 Nos. Phalsa-------------------------30 Nos.	

I/we agree with all the terms and conditions of fruit contract at Central State Farm Suratgarh, Shri ganganagar (Rajasthan) as laid down by National Seeds Corporation Ltd.

Date:-……………………….. Signature………………………

Place:-………………………. Name …………………………

Address……………………….

Seal of Authorised signatories with official stamp

No. CSF/SOG/HRT/04/2024-25 दिनांक :– 18.04.2024

फार्म में बाग के फलों की नीलामी (1 जुलाई 2024 से 30 अप्रेल 2025) हेतु वर्ष 2024–25 के लिए नियम व शर्तें

1. टेण्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारी पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा–खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत प्रमाण–पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात मे से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

2. प्रत्येक निविदादाता/बोलीदाता को निविदाऐं/बोली देने से पूर्व निविदा प्रपत्र राशि **1180/- रुपये (1000+18% GST)** व रूपये **1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) ई.एम.डी. राशि** के रूप में ई–निविदा की साइट पर जमा कराना होगा।

3. **फार्म द्वारा बाग के फलों के ठेके की स्वीकृति सफल बोलीदाता/निविदादाता को जारी होने के 2 कार्य दिवस में ठेके की स्वीकृत रकम का 10 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/RTGS/NEFT द्वारा फार्म में जमा करानी होगी।**

4. फार्म प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा फार्म को कोई हानि नही हुई है तथा ठेका शर्तों के अनुसार संतोषजनक पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। जमा की गई धरोहर व प्रतिभूति राशियों पर फार्म द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में यह राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली राशि मे समायोजित नही की जायेगी।

5. अगर सफल बोलीदाता/निविदादाता धरोहर राशि 2 कार्य दिवस में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवायी गयी ई.एम.डी. राशि 1,00,000/– (रुपये एक लाख) फार्म द्वारा जब्त कर ठेका निरस्त कीया जा सकता है जिसके संदर्भ में अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

6. केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ़ के सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली/टेण्डर को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें।

7. **खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न–भिन्न निम्नवत होगी:–**

(अ) नीम्बू (कागजी)	–	**31 मार्च, 2025**
(ब) अमरूद	–	**31 मार्च, 2025**
(स) माल्टा, मौसम्बी	–	**31 दिसम्बर, 2024**
(द) किन्नों, आँवला, करोंदा	–	**31 जनवरी, 2025**
(य) बेर	–	**30 अप्रैल 2025**
(र) खजूर व जामुन	–	**31 अगस्त, 2024**
(ल) आम, बेलपत्र, फालसा	–	**30 जून, 2024**

ज्यों ही फलों के चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नही होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रातिशीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी।

8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिडकाव व अन्य वांछित कार्य समय–समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही

उसे यह भी अधिकार नही होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।

9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को देगा।

10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखड़ना, सूखना, बीमारी/कीडों/सूखा/वर्षा/ओला/पाला आदि (प्राकृतिक या अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता ही स्वयँ उक्त हानि को वहन करेगा।

11. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेगें फार्म के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि/कार्यकर्त्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा पैकिंग ढुलाई, आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेगें।

12. **यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुल फल फार्म के लिए आरक्षित रखे जायेगे जो इस प्रकार होगें–**

(क) माल्टा, मौसम्बी व किन्नों	**–**	**05 क्विण्टल**
(ख) अमरूद	**–**	**03 क्विण्टल**
(ग) आँवला	**–**	**40 किलोग्राम**
(घ) नीम्बू	**–**	**40 किलोग्राम**
(च) बेर	**–**	**02 क्विण्टल**
(छ) करोंदा	**–**	**50 किलोग्राम**
(ज) आम,	**–**	**01 क्विण्टल**
(झ) बेलपत्र,	**–**	**50 किलोग्राम**
(य) फालसा	**–**	**02 किलोग्राम**

जिसकी कोई कीमत नहीं दी जायेगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

13. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले में केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।

14. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्चें पर करेगा तथा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैस चुँगी, नगरपालिका आदि से यदि हो तो फल ठेकेदार को स्वयँ वहन करना होगा।

15. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ के सक्षम अधिकारी को जमा की गई धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व अन्य चुकाई गयी किस्तें आदि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना निदेशक महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तान्तरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/को नहीं करेगा।

16. इस सौदे के लिए **₹** 500/– (रुपये पांच सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर पर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबन्ध ठेका स्वीकृत होने के 7 कार्य दिवस के अन्दर ही करना होगा।

17. खरीददार फार्म ऐरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास–फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबन्ध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजाँची के पास जमा करानी होगी।

18. साधारणतयाः फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायँ 5:00 बजे तक होगी। किसी भी भारी वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवाकर गेट पास लेना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अन्य माध्यमों से फलों को बिक्री हेतु बाहर ले जाने से भी पूर्व गेट पास लेना अनिवार्य है।

19. यदि कोई भी बोलीदाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने या अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्त्ताओं को कोई भी अस्त्र–शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेष करने, बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नही होगा।

21. ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बधित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जॉचा जा सकता है ।

22. ठेकेदार या उसका कोई आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष तक के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।

23. <u>खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्तें :–</u>
(अ) ठेकेदार को नीलामी धनराशि का **35 प्रतिशत** स्वीकृति पत्र सह कार्य आदेश मिलने के दो कार्य दिवस तक जमा करवाना होगा। यदि ठेकेदार पूरी राशि तुरन्त जमा करवानें में असमर्थ रहता है तो इस संदर्भ में अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

(ब) उच्चतम बोलीदाता को बकाया **65 प्रतिशत** धनराशि निश्चित समय–अन्तरालों पर निम्नवत जमा करवानी होगी।

<u>बकाया 65 प्रतिशत नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित तिथियाँ:–</u>

i. **35% धनराशि दिनांक 21.07.2024 तक या खजूर, जामुन, बरसाती अमरूद एवं निम्बू वर्गीय फलों की तोड़ाई करने से पूर्व जो पहले हो।**
ii. **20% धनराशि दिनांक 21.09.2024 तक या सर्दी के अमरूद फलों की तुड़ाई से पूर्व जो पहले हो।**
iii. **10% धनराशि दिनांक 21.11.2024 तक या सर्दी के अमरूद एवं बेर फलों की तोड़ाई से पूर्व जो पहले हो।**

24. ठेकेदार को अपनी किस्तें समय पर व पूरी राशि जो अनुबन्ध में होगी एक मुश्त ही जमा करानी होंगी। किस्तें टुकड़ों में स्वीकार नही की जायेंगी।

25. उक्त किश्ते **18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** के साथ देय तिथि से **एक सप्ताह के अन्दर** लेट पेमेंट के रूप मे जमा की जा सकती है। यह अवधि सक्षम अधिकारी की मंजूरी से बढाई जा सकती है। देय तिथि से **एक सप्ताह या सक्षम अधिकारी द्वारा बढाई गई अवधि** के तत्पश्चात् भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती है तो ठेकेदार को फल तोड़नें से पूर्व रोक दिया जावेगा। ठेके को रद्दकर पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेवारी पर की जावेगी। ठेकेदार द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व उस समय तक जमा की गयी सभी राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जायेगा।यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराशि आती है तो वह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

26. यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर या उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।

27. ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म क्षेत्र में जँगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और ना ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा ।

28. बोली छूटने के बाद वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीडों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर प्रयास पौध संरक्षण फार्म द्वारा किये जावेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान अधिकारी द्वारा किये गये उपायों व प्रयासों के उपरान्त भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं हो पाती है और यदि इसकी वजह से फलों को कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई आर्थिक छुट या राहत नहीं दी जावेगी ।

29. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफा आदि देने की पेशकश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा।ऐसे मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है। साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरूद्द कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

30. ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयँ किसी दवा या छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निमार्ण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की क्षति फार्म सम्पति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की आँकलित राशि ठेकेदार को फार्म में जमा करवानी होगी।

31. यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयँ जिम्मेवार होगा।

32. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 के अनुसार बच्चो व शराब पीऐ हुऐ मजदूरों को बाग के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।

33. **Arbitration clause (मध्यस्थता खंड) :** यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर **संशोधित** किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के

तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध **निदेशक** इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। **पार्टियां** कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

34. नियम व शर्तों की अवहेलना करने पर ठेकेदार को फल तोड़नें से पूर्व रोक दिया जावेगा। ठेका निरस्त कर बाग की दोबारा नीलामी की जायेगी। उस हालत में धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि और उस वक्त तक जमा की गयी किस्म राशि व जो भी राशि फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर लिया जायेगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोलीदाता से वसूली जा सकती है जिसके संदर्भ में अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

उपरोक्त सभी दिशा–निर्देश/नियम एंव शर्ते मैने ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लिये है। उपरोक्त सभी नियम एंव शर्ते के अंतर्गत कार्य नही होने की स्थिति में फार्म मेरे खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक

हस्ताक्षर ....

नाम...

पता...

फोन न0...

ई–मेल आई.डी..............................

बैंक खाते का विवरण ....